

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांक:-एफ 3(2)( )बजट/सान्याअवि/2020-21 / 3347

जयपुर,दिनांक: 18.01.2020

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक,  
जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,  
समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
राजस्थान।

विषय:- ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों हेतु स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध लगे हुये संविदा कार्मिकों एवं मशीन विद मैन के भुगतान के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों हेतु स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा कार्मिक एवं कम्प्यूटर मशीन विद मैन की संविदा पर सेवायें लेने हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ. 1(1)0/स्था/सान्याअवि/19/23439, जयपुर दिनांक 09.04.20 द्वारा संविदा/अनुबन्ध के आधार पर दि0 01.03.20 से दिनांक 31.08.20 तक अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः इस हेतु जारी बजट का दिनांक 31.08.2020 तक के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु ही उपयोग किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 3(2)( )बजट/सान्याअवि/2020-21 / 3347-3381

जयपुर,दिनांक: 18.03.2020

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन) को प्रेषित कर लेख है कि पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ. 1(1)0/स्था/सान्याअवि/19/23439, जयपुर दिनांक 09.04.20 द्वारा ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में संविदा कार्मिक एवं कम्प्यूटर मशीन विद मैन की संविदा पर सेवायें लेने हेतु जारी स्वीकृति की अवधि में अभिवृद्धि की गयी हो तो अवगत करावे।
2. संयुक्त निदेशक(आई0टी0)को पोर्टल पर अपलोड एवं उपरोक्त कार्यालयों को ई-मेल करने हेतु।

(आर.एल.परसोया)

वित्तीय सलाहकार  
17.03.2020